न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र संख्या ..../.......... उनवान..................बनाम	
10/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. पीठासीन अधिकारी चुनाव में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते .... जवाब ....दिनांक 22/12/25 को पेश हो।	
22/12/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. पीठासीन अधिकारी SIR में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते .... जवाब ....दिनांक 06/1/26 को पेश हो।	
06/1/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी क्र. 1/2, 4 की ओर से कोई भी उप. नहीं है। अप्रार्थी 1/2, 4, 5, 6 को तामील हो चुकी है किन्तु वे आज तक जवाब अप्राप्त है अतः अप्रार्थी 1/2, 4, 5, 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी को मूल प्रा० पत्र पर बहस सुनी गई। प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से टाईप कर पत्रावली में शामिल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दा.द. हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 43/2019

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र किशनसिंह, जाति राजपूत, उम्र 72 वर्ष, निवासी ग्राम मंगरा हाल निवासी मालियों की ढाणी, चमड़ाघर किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
2. रूपसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत, उम्र 67 वर्ष, निवासी ग्राम मंगरा, हाल निवासी राजारेडी, लिंक रोड, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
3. नरपतसिंह पुत्र किशनसिंह, जाति राजपूत, उम्र 63 वर्ष, निवासी ग्राम मंगरा, हाल निवासी सरस्वती स्कूल के पास, रामनेर रोड़, वार्ड संख्या 2 किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
4. दातारसिंह पुत्र किशनसिंह, जाति राजपूत, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम मंगरा वाया कुचील, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
5. पन्नेसिंह पुत्र किशनसिंह (मृतक) जरिये वारिसान :–

5/1 प्रमोद कंवर बेवा पन्नेसिंह उम्र 45 वर्ष
5/2 रोहिताश सिंह पुत्र पन्नेसिंह उम्र 23 वर्ष
5/3 सोनू कंवर पुत्री पन्नेसिंह उम्र 27 वर्ष
5/4 मोना कंवर पुत्री पन्नेसिंह उम्र 25 वर्ष
5/5 खुशबू कंवर पुत्री पन्नेसिंह उम्र 20 वर्ष

समस्त जाति राजपूत, हाल निवासी मकान नम्बर 329, नई बस्ती, पीली खान, लोहाखान, अजमेर।

प्रार्थीगण

बनाम्

1. नन्दसिंह पुत्र स्व० मांगूसिंह (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/1 सदा कंवर पत्नि नन्दसिंह
1/2 जसवन्त सिंह पुत्र नन्दसिंह
1/3 भागीरथ सिंह पुत्र नन्दसिंह

2. सुमेरसिंह पुत्र स्व० मांगूसिंह
3. सम्पत कंवर पुत्री स्व० मांगूसिंह समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम मंगरा वाया कुचील, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
4. शाहिद खान पुत्र अब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़।
6. उप पंजीयक, किशनगढ़ जिला अजमेर।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री एस.के. व्यास

दिनांक 06.01.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. व्यास ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. के तहत पेश कर निवदेन किया कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवानी वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 व 2 व 3 एक ही खानदान के होकर आपस में रिश्तेदार हैं प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पिता व प्रार्थीगण संख्या 5/1 के ससुर व 5/2 से 5/5 के दादा स्व० किशनसिंह जी एवं अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

1/1 के ससुर व 1/2, 1/3 के दादा एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता स्व० मांगूसिंह जी दोनों सगे भाई थे तथा स्व० शैतान सिंह जी के पुत्र थे। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त सह खातेदारी सह काश्तकारी की आराजीयात है जो ग्राम कुचील तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है: खसरा संख्या 1287 एवं 1288 रकबा 41 बीघा 04 बीस्वा। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की पुश्तैनी संयुक्त सह खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है जिस पर प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा निहित है जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पूर्वज स्व० किशनसिंह व अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व० मांगूसिंह आपस में सगे भाई थे जो वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार थे जिनके जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि को लेकर किसी भी प्रकार का कोई मौखिक व विधिक विभाजन या बंटवारा नहीं हुआ जिससे उनके स्वर्गवास के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त रूप से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को विरासत में प्राप्त हुई। वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मौके पर संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। अप्रार्थीगण संख्या 1/2 एवं 1/3 जो कि आपस में सगे भाई हैं ने दुर्भिसंधी कारित कर वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराये बिना अप्रार्थी संख्या 1/2 ने वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग का बेचान इकरारनामा अप्रार्थी संख्या 4 के साथ कर लिया है जबकि वादग्रस्त भूमि का अभी तक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है उक्त विक्रय इकरारनामे की आड में अप्रार्थी संख्या 4 विभाजन से पूर्व ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न कर रहा है तथा वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर बिना विधिक विक्रय पत्र अपने हक में निष्पादित कराये व बिना भूमि रूपान्तरण कराये मुख्य सडक से लगती हुई भूमि पर भूखण्ड काटकर बेचान करने पर आमादा है। यहां यह भी अंकित करना उचित है कि अप्रार्थी संख्या 1/2 ने वादग्रस्त भूमि में निहित अपने हिस्से की भूमि में से कुछ भूमि का मुख्तयारनामा आम अप्रार्थी संख्या 1/3 के पक्ष में निष्पादित कर रखा है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1/2 एवं 1/3 तथा अप्रार्थी संख्या 4 एकराय होकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न कर रहे हैं तथा उक्त आराजी पर भूखण्ड काटकर बेचान करने पर आमादा है जिससे अब संयुक्त काश्त किया जाना कतई संभव नहीं रहा है। अतः भूमि की किरम, मूल्य एवं लगान के आधार पर रिकार्ड तथा मौके पर न्यायिक बंटवारा किया जाना वांछित है जिस हेतु उक्त वाद वास्ते बंटवारा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण सेवा में प्रस्तुत है। विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं लेकिन अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के निहित हिस्से की भूमि का बिना विधिक बंटवारा कराये वादग्रस्त आराजी के विशिष्ठ भू–भाग / खसरा नम्बर को बेचान करने, प्रार्थीगण को बेदखल करने का नाजायज प्रयास करने, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने पर सख्त आमादा है जिसमे यदि वह सफल हो गये तो प्रार्थीगण अपनी खरीदशुदा खातेदारी काश्तकारी की भूमि में निहित अपने हिस्से से महरूम हो जायेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः अप्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित कृत्य कारित करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाना वांछित है जिस हेतु उक्त वाद वास्ते जारी फरमाने स्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण सेवा मे प्रस्तुत है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण की तुलना में ज्यादा है क्योंकि प्रार्थीगण की पुश्तैनी संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिसको अप्रार्थीगण को बिना विधिक बंटवारा कराये बेचान, हस्तान्तरण एवं किस्म परिवर्तन करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 अगर अपने मंसूबों में कामयाब होकर बिना विधिक बंटवारा कराये भूमि का बेचान कर कब्जा देने में सफल हो जाते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

और अप्रार्थी संख्या 4 गैर कानूनी रूप से मुख्य सडक से लगती हुई भूमि पर प्लाटिंग कर चान करने में सफल होता है तो प्रार्थीगण को अपनी बेशकीमती भूमि से महरूम होना पडेगा तथा प्रार्थीगण को जो अपूर्णीय क्षति होगी उसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं आंका जा सकेगा। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, जबरन अतिक्रमण करने, रहन, बय, मुंतकिल करने, भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने, भूखण्ड काटकर विक्रय करने से अप्रार्थीगण, उनके नौकर, चाकर, रिश्तेदारान इत्यादी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबन्द फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र को दिनांक 25.02.2019 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 01/1, 1/3, 2, 3 की ओर से महमति का जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1/2, 04, 05, 06 की ओर से बावजूद तामिली के जवाब पेश नहीं किया गया जिससे दिनांक 06.01.2026 को अप्रार्थी संख्या 1/2, 04, 05, 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।
3. दिनांक 06.01.2026 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया।
4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

प्रथम दृष्टया प्रकरणः— वादअधीन भूमि में प्रार्थीगण सहखातेदार है तथा मूल वाद धारा 53 राज. का.अधि. के तहत पेश किया गया है जिसमें वादग्रस्त भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रार्थी का अधिकार है, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः— वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 25.02.2019 से अस्थाई निषेधाज्ञा कायम है, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षतिः— यदि अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया और अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौके में परिवर्तन कर दिया गया तो अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण को कारित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कुचील स्थित भूमि खसरा संख्या 1287, 1288 (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2068—71) रकबा 41 बीघा 04 बीस्वा में में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थीगण को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें तथा वादअधीन भूमि में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)